मध्यप्रदेश शासन

मान. श्री कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री, मप्र शासन

श्री सचिन सुभाष यादव जी
कृषि मंत्री, मप्र शासन

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना'

मार्गदर्शिका

किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना'

मार्गदर्शिका

किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

विषयक्रम

- प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु ''मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना'' - 02
- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना हेतु परिभाषाएं - 03
- योजना के लिए मापदंड - 04
- क्रियान्वयन प्रक्रिया - 06
- ''मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना'' के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 13
- योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां 14
- 'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान 19
- फसल ऋण माफी हेतु आवेदन सह घोषणा-पत्र 26
- फसल ऋण माफी हेतु आधार नम्बर दर्ज करने हेतु आवेदन एवं घोषणा-पत्र 28
- फसल कर्ज माफी आपत्ति सह संशोधन पत्र 30

प्रकाशक

मध्य भारत
कृषक भारती
राष्ट्रीय कृषि पत्रिका

Mob. 94251-01132, E-mail: editorkrb@gmail.com

मूल्य : 40/-

प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु
''मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना''

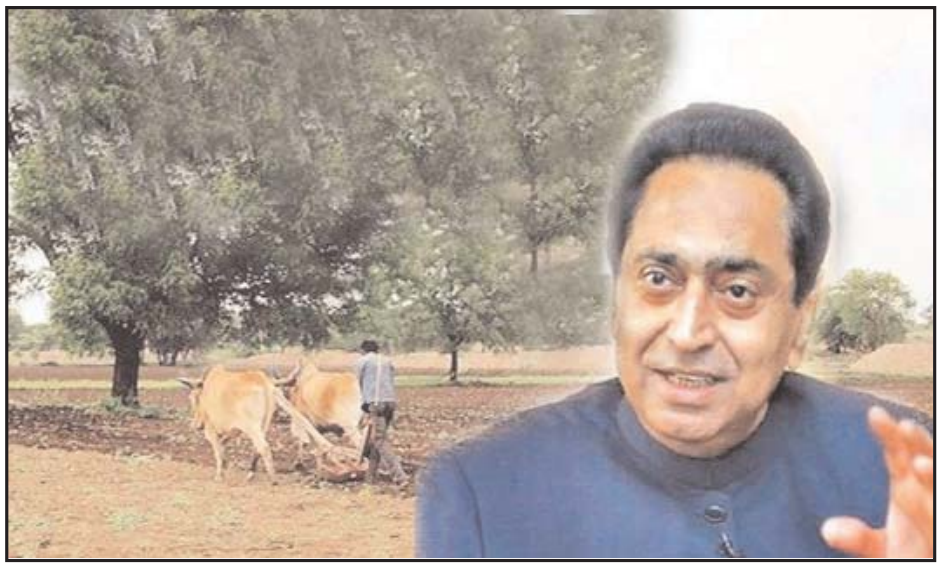

कृषि क्षेत्र में विगत कई वर्षों से किसानों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप कई किसान चाहते हुए भी बैंकों/समितियों से फसल ऋण प्राप्त करने के उपरांत नियमित भुगतान नहीं कर पाते हैं। कृषि क्षेत्र की ऋणग्रस्तता निवारण के लिए बैंकों द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाए जा सके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना स्वीकृत की गई है।

1. योजनान्तर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम रुपए 2.00 लाख (रुपए दो लाख) की सीमा तक पात्रता अनुसार निम्नानुसार लाभ दिया जावेगा:-

(अ) 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसानों के नियमित ऋण खाते में ऋणप्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि (Regular Outstanding Loan) के रूप में दर्ज है। जिन किसानों द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति में (Regular Outstanding Loan) तथा 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।

(ब) 1 अप्रैल 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिए Non Performing Asses (NPA) घोषित किया गया हो। जिन किसानों द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति में NPA अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना हेतु परिभाषाएं

- **फसल ऋणः** भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिए ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला अल्पकालीन फसल ऋण।
- **ऋणमान (Scale Of Finance):** प्रत्येक हेक्टेयर फसल ऋण का निर्धारण जो उक्त कृषि सीजन में, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निश्चित किया गया हो।
- **ऋण प्रदाता संस्थाएंः** प्रदेश में कार्यरत एवं ऋण प्रदान करने वाली निम्न वित्तीय संस्थाएं एवं इनकी शाखाएं स्कीम के क्रियान्वयन के लिए पात्र रहेंगीः-
- राष्ट्रीयकृत बैंक * ग्रामीण बैंक * क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त फसल ऋण शामिल)
- **फसल ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रः** ऋण प्रदाता संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर से किसान को जारी किया जाने वाला समायोजित फसल ऋण खाता का ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र।
- **किसान सम्मान पत्रः** नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को दिया जाने वाला सम्मान पत्र।

- **गैर-निष्पादन आस्तियां (NPA):** भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार मान्य परिभाषा।
- **कालातीत ऋण:** नाबार्ड एवं सहकारिता विभाग के परिपत्रों द्वारा परिभाषित मापदंड अनुसार।

योजना के लिए मापदंड

- मध्यप्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश स्थित ऋण प्रदाता संस्था की बैंक शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया गया हो, योजना हेतु पात्र होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण भी योजना में शामिल रहेंगे।
- ऐसा किसान जिसकी फसली ऋण को रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुर्नरचना (Restraucturing) कर दी गई हो, योजना में पात्र होगा।

इस ऋण में माफी नहीं मिलेगी

- कम्पनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रत्याभूत ऋण जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो।
- किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था (FPO) द्वारा लिया गया फसल ऋण।
- सोना गिरवी रख प्राप्त किया गया कोई भी ऋण।
- योजनान्तर्गत डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर DBT से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। अत: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराया

जाना आवश्यक होगा। जिन किसानों के फसल ऋण खाते में आधार नम्बर सीडिंग नहीं है, को इस प्रयोजन हेतु एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

- **गैर निष्पादित आस्तियां (NPA):-** रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप गैर-निष्पादित आस्तियां NPA के रूप में 31 मार्च 2018 तक वर्गीकृत फसल ऋण योजनान्तर्गत मान्य होंगे, यदि उक्त फसल ऋण 1 अप्रैल 2007 अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से प्रापत किया गया हो। सहकारी बैंकों तथा (PACS) से 1 अप्रैल 2007 या उसके उपरांत लिया गया फसल ऋण जो 31 मार्च 2018 को कालातीत ऋण के रूप में दर्ज हो, योजनान्तर्गत पात्र होगा।
- पात्र किसानों के फसल ऋण खाते में योजनान्तर्गत पात्रता अनुसार राशि जमा कराई जावेगी। लघु एवं सीमा किसानों को प्राथमिक प्रदान की जावेगी।

बैंकों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा-

* सहकारी बैंक * क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) * राष्ट्रीयकृत बैंक

- **योजना के लिए निरहर्ता/अपात्रता**

निम्न श्रेणी के फसल ऋण योजना अंतर्गत निरर्हत/अपात्र रहेंगे:-

- निम्न श्रेणियों के वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी: मान. सांसद, मान. विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मंडल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष।
- समस्त आयकर दाता।
- भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी तथा इनके निगम/मंडल/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर)।

- रुपए 15,000/- प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर)
- जी.एस.टी. में 12 दिसम्बर 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फार्म/फर्म के संचालक/फर्म के भागीदारी।

किसी भी निरर्हता की स्थिति में उक्त फसल ऋण प्राप्तकर्ता किसान निरर्हत/अपात्र होगा। उपरोक्त निरर्हता/अपात्रता के लिए पात्र किसान द्वारा स्व-प्रमाणीकरण किया जाना योजना हेतु मान्य होगा।

निरर्हता/अपात्रता की सूची में बदलाव या सुधार करने के लिए एवं ऋणमान के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

क्रियान्वयन प्रक्रिया

- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल का प्रबंधन का कार्य समक्षम तकनीकी संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
- जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में जिले में स्थित समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफी के पोर्टल से उपरोक्त अवधि के Regular Outstanding Loan तथा NPA/कालातीत लोन की आधार कार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियां प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ जावे।
- सूची प्रकाशन के उपरांत आधार कार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों

से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची प्राप्त किए जावेंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसानों द्वारा भरे गए तीनों किस्म के आवेदन पत्रों (हरे, सफेद तथा गुलाबी) की जानकारी 26 जनवरी 2019 को ग्रामसभा की बैठक में दी जावेगी तथा ऐसे किसान जो तब तक आवेदन पत्र नहीं भर पाए हैं उन्हें 5 फरवरी 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा कराए जाने का समय दिया जावेगा।

- इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी (वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का) भी कर्तव्यस्थ किए जावेंगे। प्रत्येक विकासखंड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- जिन किसानों के नाम गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) में हैं, उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड सीडिंग भी करानी होगी। आधार कार्ड सीडिंग का कार्य 15 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक प्रत्येक बैंक शाखा/समिति में किया जावेगा। उक्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो, इस हेतु जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखा/समिति वार कार्यक्रम नियत करेंगे। बिना आधार कार्ड सीडिंग अथवा बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
- किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि है, उस ग्राम पंचायत में ऑफ-लाइन आवेदन पत्र जमा कराया जावेगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जावेगा। आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पासबुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता पासबुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियां अनेक ग्राम पंचायतों में है तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में (जिसमें सामान्यत: निवास हो) समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियां एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। प्रत्येक ऑफ आइन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत (नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकाय) द्वारा आवेदक को प्रदान की जावेगी।

- समस्त ऑफ लाइन आवेदनों का कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अथवा कलेक्टर द्वारा जिले में निर्धारित केन्द्रीयकृत या विकेन्द्रीयकृत स्थलों पर डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर 26 जनवरी 2019 से किया जावेगा। नियत शासकीय कर्मचारी द्वारा ऑफ लाइन आवेदन से पोर्टल पर इन्ट्री का सत्यापन करने उपरांत ही पोर्टल पर संबंधित ऑफ लाइन आवेदन की जानकारी अपलोड की जावेगी।
- जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही एस.एम.एस. से किसान के मोबाइल पर आटोमेटेड रूप से सिस्टम द्वारा सूचना भेजी जावेगी। कलेक्टर पोर्टल के ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध करावेंगे।
- जिन किसानों ने ऑफ लाइन आवेदन में आधार कार्ड नम्बर या ऋण बैंक खाते का नम्बर नहीं दिया है उनके आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु पृथक से समय दिया जावेगा।
- बैंक शाखाओं द्वारा आधार कार्ड एवं/अथवा बैंक खाता क्रमांक से ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का कार्य पोर्टल पर किया जावेगा। जिन सत्यापित एवं प्रमाणीकृत किए गए बैंक खातों में आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ है, उसका

UIDAI (Unique Identifation Development Authority Of India) के पोर्टल से अभिप्रमाणन कराया जावेगा। UIDAI पोर्टल से अभिप्रमाणन नहीं होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर सूचित कर संबंधित किसान द्वारा आधार कार्ड अभिप्रमाणन बैंक शाखा में किया जावेगा।

- संबंधित बैंक शाखा/समिति की जिम्मेदारी होगी कि आधार कार्ड की किसान की जानकारी बैंक अभिलेखों अनुसार ही है तथा नाम, पिता–पति का नाम, गांव के नाम से आधार कार्ड अभिप्रमाणन कर लिया गया है। बैंक शाखा/समिति द्वारा यह परीक्षण भी किया जाएगा कि प्राप्त हरे तथा सफेद आवेदन पत्रों की जानकारी बैंक शाखा/समिति में उपलब्ध जानकारी से मैच करती है अथवा नहीं। जहां यह जानकारी मैच नहीं करे, वहां बैंक शाखा/समिति संक्षिप्त जांच कर निराकरण करेगी।
- बैंक शाखा/समिति द्वारा डाटा सत्यापन/प्रमाणीकरण उपरांत शासन की नीति अनुसार शासन से राशि का प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पोर्टल पर प्रस्तुत किया जावेगा। पोर्टल के माध्यम से अन्य संबंधित बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी बैंक शाखा/समिति द्वारा 7 दिवस के अंदर पोर्टल पर उक्त प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की जा सकेगी। नियत अवधि में आपत्ति प्राप्त ना होने पर संबंधित बैंक शाखा/समिति का कोई भी पश्चातवर्ती दावा मान्य नहीं होगा।
- जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधार कार्ड पर लिए गए भिन्न–भिन्न ऋण प्रदायकर्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची को दावे/आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमानुसार स्वीकृति दी जावेगी।

- गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा तथा संबंधित बैंक शाखा/समिति परीक्षण उपरांत निराकरण करेगी।

- NPA/कालातीत ऋण पर राज्य शासन द्वारा बैंकों से परामर्श पर One Time Settlement (OTS) को अंतिम रूप दिया जावेगा।

- पोर्टल पर गणना उपरांत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति एवं DLCC में भुगतान योग्य सूचियों को स्वीकृत कर जिले का मांग पत्र तैयार कर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रपत्र में भेज जावेगा। कृषि विकास द्वारा बजटीय आवंटन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रदाय किया जावेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संबंधित लाभान्वित किसान को उसके संबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा कराई जावेगी।

- प्रत्येक भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भुगतान किए जाने का एस.एम.एस. किया जावेगा।

- भुगतान प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखा/समिति द्वारा जिन किसानों का Regular Outstanding Loan/NPA कालातीत ऋण समायोजित होगा उन्हें ''**ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र**'' हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जावेगा। जिन किसानों द्वारा 31 मार्च 2018 बकाया को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से 12 दिसम्बर 2018 तक पटाया गया है, उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त ''**किसान सम्मान पत्र**'' से सम्मानित किया जावेगा। ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जावेगा।

- प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्रदान किए जाने के उपरांत किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी।
- योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर योजना के प्रचार-प्रसार, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय, सर्वर व्यवस्था, प्रपत्रों की छपाई, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान सम्मेलनों का आयोजन आदि हेतु प्रदाय बजट में से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आवश्यकतानुसार राशि व्यय कर सकेगा। इस हेतु प्रशासकीय व्यय के मापदंड राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति तय करने के लिए अधिकृत होगी।
- **पोर्टल प्रशिक्षणः** इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण के आयोजन किए जावेंगे।
- **शिकायत निवारणः** जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के पास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्राप्त शिकायत के परिपत्रानुसार एवं नियमानुकूल निर्णय कर निराकरण के समस्त अधिकार वेष्ठित किए जाते हैं।
- **राज्य स्तरीय समितियां**
- **राज्य स्तरीय सशक्त समितिः** मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जावेगा, जिसके आदेश पृथक से जारी किए जावेंगे।
- **राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समितिः** योजना अंतर्गत नीतिगत निर्णय लेने तथा मॉनिटरिंग के लिए सक्षम होगी।

1. मुख्य सचिव	**अध्यक्ष**
2. कृषि उत्पादन आयुक्त,	सदस्य
3. विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य

4. अपर मुख्य सचिव/ग्रामीण सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	**संयोजक**
6. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
7. प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
8. आयुक्त, संस्थागत वित्त	**सह संयोजक**
9. क्षेत्रीय निदेशक/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथवा प्रतिनिधि	**विशेष आमंत्रित**
10. मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
11. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।	सदस्य

- **राज्य स्तरीय क्रियान्वयन उपसमितिः** प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अध्यक्षता में दिन-प्रतिदिन योजना की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन उपसमिति गठित की जाती है। उक्त समिति में प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, आयुक्त, संस्थागत वित्त, समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) सदस्य होंगे।

- **जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितिः** जिला स्तर पर मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के जिले में प्रभारी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत की जाती है। इसके निम्नानुसार सदस्य हैं:-

1. माननीय प्रभारी मंत्रीजी	**(अध्यक्ष)**
2. कलेक्टर	**(उपाध्यक्ष)**
3. मान. प्रभारी मंत्रीजी द्वारा नामांकित 4 जनप्रतिनिधिगण	सदस्य
4. अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व)	सदस्य

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
6. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	**(संयोजक)**
7. उप संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
8. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
9. अधीक्षक, भू–अभिलेख	सदस्य
10. जिला सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.)	सदस्य
11. जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड)	सदस्य
12. लीड बैंक अधिकारी	**(सह संयोजक)**
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
14. सहायक आयुक्त, (आदिवासी विकास)	सदस्य

- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में संशोधन/परिमार्जन/परिवर्द्धन समन्वय से आदेश प्राप्त कर किए जा सकेंगे।

''मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना''
के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संदर्भित निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का कड़ाई से समय सीमा में पालन सुनिश्चित किया जावे। ''मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना'' के क्रियान्वयन में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों/निगमों/मंडलों/निकायों के मैदानी कर्मचारियों/अधिकारियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जावे। जिला स्तर पर कलेक्टर,

अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकास खंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

8 जनवरी 2019 से

- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के लाभान्वित किसानों के ऋण प्रदाता संस्था/बैंक शाखा में फसल ऋण खाते के आधार कार्ड सीडिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जावे।
- इस कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने हेतु जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा/समिति के लिए ग्रामवार दिवस नियत किए जावें। शासकीय कर्मचारी को आवश्यक समन्वय तथा आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखा/समिति में किसानों को गाइड करने के लिए कर्तव्यस्थ किया जावे। उक्त कार्य 5 फरवरी 2019 तक सतत् निरंतर चलता रहे।

15 जनवरी 2019 से

- प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड फसल ऋण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों की हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड सफेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर चस्पा की जावेगी।
- सुनिश्चित किया जावे कि पोर्टल पर बैंक शाखा/समिति द्वारा समस्त आवश्यक जानकारी लोड की गई है तथा पोर्टल से ग्राम पंचायतवार सूचियां चस्पा की जाने हेतु प्राप्त कर ली गई हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में आधी–अधूरी सूचियां प्रदर्शित नहीं की जावे।
- 25 जनवरी से पहले समस्त संबंधित ग्राम पंचायत की सर्विस एरिया की समस्त बैंक शाखाओं/समितियों की हरी तथा सफेद सूची प्रदर्शित हो।
- सूची प्रकाशन/चस्पा होने के उपरांत आधार कार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के

किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ लाइन प्राप्त किए जावे। नगरीय निकायों में भी आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे ताकि नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमिधारी ऋणी किसान नगरीय निकाय में आवेदन जमा कर सके। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं है अथवा उन सूचियों में त्रुटिसुधार हेतु दावा-आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे। कृषि विभाग द्वारा हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर 13 जनवरी की प्रातः तक जिला मुख्यालय पर प्रदाय किए जा रहे हैं। इन आवेदन पत्रों को समुचित संख्या में ग्राम पंचायतवार तथा बैंक शाखाओं में रखने की व्यवस्था की जावे। कृषि विभाग द्वारा ई-मेल से प्रारूप (मय फॉर्मेट) भी भेजा जा रहा है। अधिक आवेदनों की आवश्यकता पड़ने पर उक्त फॉर्मेट अनुसार अतिरिक्त आवेदन पत्र भी जिला स्तर पर छपवाए जा सकते हैं।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्यस्थ किया जावे, जो 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में समस्त हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने का कार्य सम्पन्न करेगा।
- नोडल कर्मचारी आवेदनकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पूर्ण भरे हैं, त्रुटिपूर्ण नहीं है तथा हस्ताक्षरित हैं, इसे भी सुनिश्चित करेगा।
- नोडल अधिकारी के द्वारा ही आवेदन पत्रों की पावती रसीद जारी की जावेगी तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।

26 जनवरी 2019 से

26 जनवरी 2019 को ग्राम सभा का आयोजन किया जावेगा जिसमें उस दिनांक तक

हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र भरकर देने वाले आवेदकों की सूची पढ़ी जावेगी। साथ ही ऐसे किसान बंधुओं के नाम भी पढ़े जावेंगे जिनका नाम हरी अथवा सफेद सूची में है किन्तु उनके द्वारा आवेदन पत्र 25 जनवरी तक जमा नहीं किए हैं।

27 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक

- हरी एवं सफेद सूची के शेष नाम, जिन्होंने आवेदन भरकर नहीं दिया है उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जावेगा। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर्स को हार्डवेयर एवं मैनपावर की व्यवस्था करनी होगी। इस कार्य हेतु आवश्यक केन्द्रों की स्थापना की जावे।
- जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही एस.एम.एस. से किसान को सूचना चली जावेगी। कलेक्टर द्वारा पोर्टल पर जो भी डाटा इन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदन किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।
- गुलाबी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा जहां बैंक शाखा द्वारा अपने अभिलेखों से पुष्टि की जावेगी। दावा/आपत्ति सही होने पर पोर्टल की जानकारी को बैंक शाखा द्वारा सुधार किया जावेगा।

5 फरवरी से 10 फरवरी

- ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों को डाटा इन्ट्री सेन्टर पर इनपुट किया जावेगा। पोर्टल की जानकारी बैंकों को ऑनलाइन Accessible होगी। पोर्टल की ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन, आधार कार्ड प्रमाणीकरण का कार्य किया जावेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में अगर आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ हो तो उसका राष्ट्रीयकृत

बैंकों द्वारा UIDAI के पोर्टल से बैंक द्वारा अभिप्रमाणन कराया जावे। सहकारी बैंकों के ऋण खातों का आधार अभिप्रमाणन MAP-IT के द्वारा अधिकृत Authentication User Agency (AUA) के माध्यम से कराई जावे।

- पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) Display होंगे, इससे सभी बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा ऐसे प्रावधिक दावे पर आपत्ति की जा सकेगी।

10 फरवरी से 17 फरवरी

- बैंक शाखा/समिति इन 7 दिवसों के अंदर पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की, अगर कोई हो तो दर्ज करने की व्यवस्था की जावेगी।
- ऐसे फसल ऋण खाते जिनमें हरी/सफेद सूची के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आधार अभिप्रमाणन हुआ है तथा Provisional Claim पर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, को DLCC के समक्ष परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

18 फरवरी से 20 फरवरी

- DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधार कार्ड पर लिए गए भिन्न–भिन्न ऋण प्रदायकर्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची के दावे/आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा तथा निराकरण के उपरांत नियमानुसार अनुशंसा की जावेगी।
- DLCC से अनुशंसा सहित प्राप्त सूची में भुगतान हेतु प्रथम चरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। भुगतान करते समय बैंक को निम्न क्रम में प्राथमिकता दी जावेगी।

  * सहकारी बैंक * क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक * राष्ट्रीयकृत बैंक।

21 फरवरी

- जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित सूचियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास से आवंटन की मांग की जावे।
- गुलाबी आवेदन पत्रों पर संबंधित बैंक शाखा द्वारा किसान की दावा–आपत्ति मान्य किए जाने पर पोर्टल पर विधिवत अपलोड किए जाने का ऑप्शन बैंक शाखा को प्रदान किया जावेगा।

22 फरवरी से लगातार

- लाभान्वित किसान को उसके संबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जिला स्तर से जमा कराई जावेगी।
- भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भुगतान किए जाने का एस.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से होगा।
- जिन किसानों को इस योजना में लाभ मिलेगा, उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जावेंगे। इसका पृथक से प्रारूप प्रेषित किया जावेगा।
- जिन किसानों के द्वारा 31 मार्च 2018 को बकाया को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से 12 दिसम्बर 2018 तक पटाया हो, उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त ''**किसान सम्मान पत्र**'' प्रदाय किए जावेंगे इसका पृथक से प्रारूप प्रेषित किया जावेगा।
- ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कर किया जावे। इस हेतु कृषि विभाग पृथक से निर्देश जारी कर रहा है।
- प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जावे।

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान

प्रश्न	समाधान
ऋण लिया हो, किन्तु दिनांक 31 मार्च 2018 से पहले वापिस जमा कर दिया हो, इस प्रकार उनका Regular Outstanding Loan 31 मार्च 2018 की स्थिति में नहीं दिखेगा तब क्या उन्हें पात्रता होगी?	31 मार्च 2018 से पूर्व लौटाए गए फसल ऋण पर योजना में लाभ प्राप्त नहीं होगा।
यदि कुल ऋण 2.00 लाख से अधिक है तो क्या लाभ 2.00 लाख तक की सीमा में मिलेगा अथवा लाभ के लिए अपात्र होंगे?	योजना के अन्य समस्त मापदण्ड एवं पात्रता शर्तों की पूर्ति करने पर रुपए 2.00 लाख (रुपए दो लाख) की सीमा तक लाभ प्रदान किया जावेगा।
ऐसे कृषक जिनकी कर्ज लेने के पश्चात् मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी?	ऐसे किसान के वारिसों को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। वारिसों को संयुक्त रूप से योजना का लाभ मिलेगा।
दिनांक 31 मार्च से 12 दिसम्बर तक यदि पूर्ण ऋण चुकाया जा चुका है तो क्या कोई भुगतान किया जावेगा? यदि आंशिक ऋण चुकाया गया है तो क्या बची हुई आउटस्टेंडिंग के बराबर राशि दी जाएगी अथवा पूर्ण ऋण की राशि दी जाएगी।	दिनांक 31 मार्च 2018 को शेष राशि के आधार पर पात्रता अनुसार योजना का लाभ मिलेगा।
किसी हितग्राही ने कृषि ऋण ले रखा हो, किन्तु दिनांक 31.3.2018 तक जमा नहीं कराया हो, ऐसी स्थिति में लंबे समय से जमा नहीं कराने के कारण दिनांक 01.04.2018 के बाद बैंक द्वारा अगर राइट ऑफ करके खाता बंद कर दिया हो, क्या उनको योजना की पात्रता होगी?	भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के एन.पी.ए. तथा नाबार्ड के कालातीत की परिभाषा ही मान्य होगी। योजना में एन.पी.ए. तथा कालातीत लोन के विषय में प्रावधान सुस्पष्ट है।
KCC अकाउंट को आधार से लिंक करने के बाद यदि किसान अन्य कोई बचत खाता खोलकर आधार से लिंक करवा लेता है तो ऋण की राशि दूसरे खाते में चली जाएगी।	योजना का लाभ लेने हेतु बैंक के फसल ऋण खाते को आधार लिंक किया जाना है। योजना अंतर्गत निर्गमित राशि ऋण खाते में ही जमा होगी।

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान

प्रश्न	समाधान
फसल ऋण माफी योजना में संयुक्त ऋण खाता है तो सभी खातेदारों के आधार पर कार्ड नम्बर लिए जाना है या नहीं अथवा संयुक्त खाते में प्रथम खातेदार के ही आधार कार्ड से ही ऋण माफी हेतु पात्र होगा?	फसल ऋण जिस संयुक्त खाते के किसान द्वारा लिया गया है उसी के आधार पर कार्ड सीडिंग की आवश्यकता होगी। ऋणी है तो सभी के आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य होगी।
संयुक्त खाताधारक की स्क्थिति में ऋण माफ का मापदण्ड क्या होगा?	फसल ऋण खाता जिन किसानों के संयुक्त नाम पर होगा उन्हीं को आवेदन करने की तथा उक्त फसल ऋण खाते में योजना प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। एक ऋण खाते में एक से अधिक संयुक्त ऋणी होने पर योजना की पात्रता अनुसार अधिकतम रुपए 2.00 लाख का लाभ ही प्राप्त हो सकेगा।
31 मार्च 2018 की स्थिति में कृषक द्वारा लिया गया मूलधन को आधार माना जावेगा अथवा मूलधन ब्याज सहित को आधार मानकर गणना की जावेगी।	योजनान्तर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में मूलधन एवं उक्त तिथि के ब्याज की गणना कर जो कुल बकाया राशि है उसे ही आधार बनाया जावेगा।
एक कृषक का एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में योजनानुसार पात्र ऋण दिनांक 31 मार्च 2018 पर बकाया है तो ऋण माफी प्राथमिकता क्रम क्या होगा?	सहकारिता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में यदि बकाया नहीं है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्राथमिकता में सर्वप्रथम सबसे कम राशि के बकाया ऋण खाते में लाभ प्रदान किए जावेंगे। तत्पश्चात् इससे अधिक शेष वाले खाते में योजना में निर्धारित राशि सीमा तक का लाभ प्राप्त होगा।
दिनांक 31 मार्च 2018 को राशि रुपए 2.00 लाख से अधिक का पात्र ऋण शेष है तो क्या शेष राशि कृषक द्वारा जमा कराने पर पात्रता होगी अथवा शेष राशि जमा कराने की बाध्यता नहीं होगी?	योजनान्तर्गत यह बाध्यता नहीं है।
1 अप्रैल 2018 से 12 दिसम्बर 2018 के मध्य बैंकों द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण माफ होगा अथवा नहीं।	जी नहीं।

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान

प्रश्न	समाधान
ऐसे कृषक जो किसी कारण से पलायन कर रहे हैं और उनका बैंक में अभी भी ऋण आउटस्टेंडिंग है।	योजना के अन्य समस्त प्रावधानों पर होने पर योजनान्तर्गत लाभ मिल सकेगा।
कण्डिका 3.7.3 अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में संविदा कर्मचारी (उपयंत्री/रोजगार सहायका/डेटा एन्ट्री ऑपरेटर), आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता तथा आउट सोर्स पर लगे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के माने जाएंगे या अपात्र किए जाएंगे?	संविदा कर्मी जो वर्ग 1, 2 या 3 के पदों के कार्यरत हैं, पात्र नहीं होंगे। ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी योजना के लिए शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निगम/मंडल के कर्मचारी की अपात्रता में नहीं आएंगे।
हरी एवं सफेद सूची का कोई मानक प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है।	सूची का प्रारूप पृथक से भेजा जाएगा।
माननीय जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों (पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधु) को इस योजना की पात्रता होगी अथवा नहीं।	अपात्रता, फसल ऋण खाता जिस कृषक के नाम पर पर है उसके वर्तमान अथवा भूतपूर्व पदाधिकारी पर लागू होगी। परिवार के अन्य वयस्क सदस्य के द्वारा यदि फसल ऋण लिया हो तथा अन्य समस्त पात्रता एवं मापदंड की पूर्ति होती हो तो योजना का लाभ मिल सकेगा।
पूर्व में ऋण वितरण के समय कृषक के पास भूमि थी। वर्तमान में कृषक द्वारा भूमि का विक्रय किया जा चुका है ऐसी दशा में प्रक्रिया/पात्रता क्या होगी?	जिस व्यक्ति के नाम ऋण है, उसी व्यक्ति को पात्रतानुसार लाभ प्राप्त होगा।
यदि उद्यानिकी का भी 31 मार्च 2018 को कालातीत/ अकालातीत ऋण बकाया है तो क्या वह ऋण भी ऋण माफी की पात्रता में आवेगा?	योजना केवल अल्पकालीन फसल ऋण के लिए है तथा सावधि ऋण (Term Loan) शामिल नहीं है।

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान

प्रश्न	समाधान
आधारकार्ड अथवा बैंक खाता नम्बर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है? क्या इसकी समय सीमा भी 5 फरवरी तक होगी?	जी हाँ।
यदि प्रोविजनल क्लेम बैंक से मांगा जा रहा है तो डी.बी.टी. किसान के खाते में क्यों की जाना है? कृषक द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण लेने की स्थिति में ऋण माफी की सीमा राशि रुपए 2.00 लाख तक कर्ज माफी उपरोक्तानुसार विभिन्न बैंकों हेतु संयुक्त रूप से लागू होगी?	योजना का लाभ डी.बी.टी. के माध्यम से किसान के ऋ खाते में पात्रतानुसार दिया जाएगा। जी हाँ। योजना प्रावधान ऐसे समस्त ऋण खातों पर लागू होंगे।
ऐसे कृषक जो 'मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना' का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, क्या ऐसे कृषकों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा? यदि हां तो ऐसे कृषकों को लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया क्या होगी?	योजना की पात्रतानुसार लाभ प्राप्त हो सकेगा।
यदि कृषक ऋण लेते समय किसी पद पर नहीं था परंतु बाद में वह पदाधिकारी नियुक्त हुआ तब क्या ऐसा भूतपूर्व या वर्तमान पदाधिकारी अपात्रता में आएगा।	जी हाँ।
किसान का ऋण खाता संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में होता है, जिस पर कोर बैंकिंग सिस्टम चालू नहीं है, ऐसी स्थिति में किसान के संबंधित बैंक खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा होने के पश्चात् सोसायटी के ऋण खाते में राशि आंतरित की जाकर समायोजन प्रविष्टि से राशि प्रविष्ट की जा सकेगी।	जिला सहकारी बैंक द्वारा संबंधित कृषक के ऋण खाते में समायोजन किया जाएगा।

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान

प्रश्न	समाधान
पोर्टल में यह व्यवथा हो कि कालातीत, एन.पी.ए., नियमित ऋण बकायादार श्रेणी के कृषकों की पृथक-पृथक सूची उपलब्ध हो जो पोर्टल से निकाली जा सके।	पोर्टल में यह व्यवस्था की गई है।
पोर्टल में यह सुविधा हो कि एक से अधिक बैंक से लिया गया ऋण का बकाया हो तो एक ही सूची में सभी बैंक के बकाया दर्शित हो।	एक आधार कार्ड संख्या पर समस्त फसल ऋण खातों की एकजाई सूची पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
किसी कृषक की निरर्हता के संबंध में बैंक/सहकारी संस्थाओं को ज्ञात है तो क्या वे ऐसे कृषकों को पात्रता सूची (हरी/सफेद सूची) में सम्मिलित करेंगे अथवा कृषक के स्व-प्रमाणन के आधार पर निरर्हता होगी?	स्व-प्रमाणन के आधार पर निरर्हता तय होगी। तथापि बैंक शाखा/समिति की निरर्हता की आपत्ति किए जाने पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में ही लिया जा सकेगा।
राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की आधार सीडेड एवं गैर आधार सीडेड ऋण खातों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर ग्राम पंचायतवार संधारित नहीं है तथा सूची समय सीमा के पूर्व कब तक प्राप्त की जा सकेगी।	पोर्टल पर ग्रामवार एवं बैंक शाखावार सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि क्या मात्र उन्हीं किसानों को दिया जाना है तो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करते हैं।	कृषक द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन किए जाने का योजना में प्रावधान नहीं है। चूंकि समस्त आवेदन पत्र ऑफ-लाइन प्राप्त किए जाने हैं। अत: सभी को दर्ज ऑनलाइन आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जानी होगी।

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान

प्रश्न	समाधान
आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नम्बर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है? क्या इसकी समय सीमा भी 5 फरवरी तक होगी?	जी हाँ।
15 जनवरी से पूर्व ऋण खातों में आधार सीडिंग एवं ऋण खातेदारों की सूची तैयार करने की समस्त कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा की जाएगी, इसमें जिला प्रशासन की भूमिका क्या मात्र मॉनिटरिंग तक सीमित होगी?	इस हेतु विस्तृत निर्देश दिनांक 8 जनवरी 2019 को जारी किए गए हैं।
आधार अभिप्रमाणन का दायित्व बैंक का होगा। जिला प्रशासन अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराकर इसकी गति बढ़ाने में असमर्थ रहेगा।	जी हाँ।
किसानों के खातों में ट्रायल के तौर पर एक रुपए का भुगतान किया जाए तथा जिन किसानों के ट्रायल भुगतान सफल होते हैं उनके खाते में ही योजना की राशि भुगतान की जाए और जिन किसानों के भुगतान फेल होते हैं उनके खाते सुधरवाने के पश्चात् एक बार फिर से ट्रायल की जाए।	संभव नहीं है। IFSC Code तथा बैंक अकाउंट Details उचित है तो ट्रांजेक्शन फेल नहीं होंगे।
किसानों से हरे रंग, सफेद रंग एवं गुलाबी रंग के आवेदन भरवाकर लिए जाने हैं, इनके प्रारूपों की तत्काल ही आवश्यकता है।	ऐसा किया जाना उचित नहीं है। दिनांक 08.01.2019 को कलेक्टर्स को जारी पत्र के ई-मेल के साथ तीनों किस्म के आवेदनों की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। दिनांक 13 जनवरी 2019 तक समुचित मात्रा में हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र जिलों को भेजे जा रहे हैं।

'मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना' के संबंध में प्रश्नों के समाधान

प्रश्न	समाधान
प्राप्त ऑफ-लाइन आवेदनों का डाटा इंट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी 2019 से किए जाने का उल्लेख किया गया है जिसे 15 जनवरी से लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों का परिक्षणोंपरांत ऑनलाइन एंट्री भी किया जाना प्रस्तावित है।	हाँ। पोर्टल पर इंट्री 15 जनवरी से प्राप्त अवेदनों की प्रारंभ की जा सकती है।
गुलाबी आवेदन के निराकरण के लिए क्या आधार रखे जाएंगे एवं क्या समय-सीमा होगी?	समय-सीमा योजना में नियत नहीं है। तथापि शीघ्रातिशीघ्र संबंधित बैंक शाखा द्वारा निराकरण कर पात्र पाए गए प्रकरणों को अनुशंसा सहित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में 31 मार्च 2019 तक भेज दिया जावे।
कितनी राशि के समायोजन का ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र या किसान सम्मान पत्र जारी किए जाने हैं? क्या यदि किसान को रुपए 100/200 की राशि समायोजन हुई है, इसको भी प्रमाण पत्र देने हैं।	ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र अथवा किसान सम्मान पत्र उन्हीं लाभान्वित किसानों के बनाए एवं तिरित किए जाने हैं जिनके फसल ऋण खाते में रुपए 2,000/- या उससे अधिक राशि समायोजित की गई है।

मान. श्री कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

आवेदन क्र. .....

हरा घोषणा-पत्र

(जिन कृषकों के नाम हरी सूची में दर्ज हैं, वे ही इस आवेदन को भरें)

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना

फसल ऋण माफी हेतु आवेदन सह घोषणा-पत्र

1. कृषक का नाम : .....

   पिता/पति का नाम : .....

2. ग्राम का नाम : .....

   ग्राम पंचायत का नाम : .....

   तहसील : ..... जिला : .....

3. आधार कार्ड क्रमांक : .....

   (क) आधार कार्ड में प्रदर्शित नाम : .....

4. कृषक का मोबाइल नम्बर : .....

5. कृषक द्वारा कुल धारित कृषि भूमि के आधार पर ✓ (सही) का निशान लगायें।

   - 2 हेक्टेयर तक ☐
   - 2 हेक्टेयर से ज्यादा ☐

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि :

1. मैं निम्न श्रेणी का वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी नहीं हूँ :- सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी का अध्यक्ष, सहकारी बैंक का अध्यक्ष, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मण्डल अथवा बोर्ड का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं हूँ।
2. मैं आयकर दाता नहीं हूँ। विगत तीन वर्षों में मेरी आयकर की कोई देनदारी निर्मित नहीं हुई, ना ही मेरे द्वारा आयकर जमा किया गया है।
3. मैं भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार का शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा गठित निगम/मण्डल/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हूँ या नहीं रहा हूँ।
4. मैं GST के अंतर्गत दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/फर्म के संचालक/फर्म का भागीदार नहीं हूँ।
5. मैंने कम्पनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं से प्रत्याभूत ऋण नहीं लिया है।

(अ) आवेदन फार्म में भरी गयी जानकारी मेरी सूचना अनुसार सत्य है तथा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छुपाया नहीं गया है।

(ब) यदि योजनान्तर्गत मुझको पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होता है तो अधिक राशि शासन द्वारा वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर (कृषक)

✂ यहां से काटें

मान. श्री कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना
फसल ऋण माफी हेतु आवेदन सह घोषणा–पत्र

मध्यप्रदेश शासन

रसीद

रसीद क्र. .....

कृषक श्री .....

पिता श्री .....

के द्वारा आज दिनांक ...../...../..... को बैंक द्वारा प्रदर्शित हरी सूची अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर
(नोडल अधिकारी)

नाम : ..... पदनाम : ..... स्थान : .....

आवेदन क्र. .....

मान. श्री कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

सफेद आवेदन-पत्र

(जिन कृषकों के नाम सफेद सूची में दर्ज हैं, वे ही इस आवेदन को भरें)

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना

फसल ऋण माफी हेतु आधार नम्बर दर्ज करने हेतु आवेदन एवं घोषणा पत्र

1. कृषक का नाम : .....

   पिता/पति का नाम : .....

2. ग्राम का नाम : .....

   ग्राम पंचायत का नाम : .....

   तहसील : ..... जिला : .....

3. आधार कार्ड क्रमांक : .....

   (क) आधार कार्ड में प्रदर्शित नाम : .....

4. कृषक का मोबाइल नम्बर : .....

5. कृषक द्वारा कुल धारित कृषि भूमि के आधार पर ✓ (सही) का निशान लगायें।

   - 2 हेक्टेयर तक ☐
   - 2 हेक्टेयर से ज्यादा ☐

6. ऋण खाता जिसमें आधार कार्ड इन्द्राज नहीं है –

(i) सफेद सूची का सरल क्रमांक ..... समिति का नाम ..... ऋण खाता पंजी क्रमांक .....

(ii) सफेद सूची का सरल क्रमांक ..... बैंक एवं शाखा का नाम ..... ऋण खाता क्रमांक .....

(iii) सफेद सूची का सरल क्रमांक ..... बैंक एवं शाखा का नाम ..... ऋण खाता क्रमांक .....

नोट (i) कृपया अपने आधार कार्ड की दोनों तरफ की छायाप्रति (आगे तथा पीछे) भी संलग्न करें।

(ii) संबंधित कृषक के द्वारा स्वयं के आधार क्रमांक की जानकारी ही भरी जावे। किसी अन्य के आधार की जानकारी भरने पर प्रकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) बिन्दु क्रमांक 6 में प्रदर्शित प्रत्येक ऋण खाते की पास बुक के प्रथम तीन पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि :

1. मैं निम्न श्रेणी का वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी नहीं हूँ :- सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी का अध्यक्ष, सहकारी बैंक का अध्यक्ष, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मण्डल अथवा बोर्ड का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं हूँ।
2. मैं आयकर दाता नहीं हूँ। विगत तीन वर्षों में मेरी आयकर की कोई देनदारी निर्मित नहीं हुई, ना ही मेरे द्वारा आयकर जमा किया गया है।
3. मैं भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार का शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा गठित **निगम/मण्डल**/ अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हूँ या नहीं रहा हूँ।
4. मैं **GST** के अंतर्गत दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/फर्म के संचालक/फर्म का भागीदार नहीं हूँ।
5. मैंने कम्पनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं से प्रत्याभूत ऋण नहीं लिया है।

(अ) आवेदन फार्म में भरी गयी जानकारी मेरी सूचना अनुसार सत्य है तथा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छुपाया नहीं गया है।

(ब) यदि योजनान्तर्गत मुझको पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होता है तो अधिक राशि शासन द्वारा वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर (कृषक)

सहमति

मैं अपना आधार संख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मैं स्वेच्छा से मेरे बैंक/समिति खाते में सीड/दर्ज करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर (कृषक)

✂ यहां से काटें

मान. श्री कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना

फसल ऋण माफी हेतु आधार नम्बर दर्ज करने हेतु आवेदन एवं घोषणा पत्र

मध्यप्रदेश शासन

रसीद

रसीद क्र. .....

कृषक श्री .....

पिता श्री .....

के द्वारा आज दिनांक ...../...../..... को बैंक द्वारा प्रदर्शित सफेद सूची के अनुसार निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है :-

1. आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति।
2. आवेदन के बिन्दु क्र. 6 में प्रदर्शित प्रत्येक बैंक खाते की पास बुक के प्रथम तीन पृष्ठों की छायाप्रति।

हस्ताक्षर
(नोडल अधिकारी)

नाम : ..... पदनाम : ..... स्थान : .....

मान. श्री कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

आवेदन क्र. .....

गुलाबी आवेदन पत्र

(**भाग एक :** केवल उन कृषकों द्वारा भरा जावे जिनका नाम बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची में दर्ज नहीं है।
भाग दो : केवल उन कृषकों द्वारा भरा जावे जिनके संबंध में बैंक द्वारा प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है।)

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना
फसल कर्ज माफी आपत्ति सह संशोधन पत्र

1. कृषक का नाम : .....

   पिता/पति का नाम : .....

2. ग्राम का नाम : .....

   ग्राम पंचायत का नाम : .....

   तहसील : ..... जिला : .....

3. आधार कार्ड क्रमांक : .....

   (क) आधार कार्ड में प्रदर्शित नाम : .....

4. कृषक का मोबाइल नम्बर : .....

5. कृषक द्वारा कुल धारित कृषि भूमि के आधार पर ✓ (सही) का निशान लगायें।

   - 2 हेक्टेयर तक ☐
   - 2 हेक्टेयर से ज्यादा ☐

भाग एक

6. सहकारी समिति जहां से कृषकों द्वारा फसल ऋण लिया गया है :-

विवरण	खाता नम्बर
सहकारी समिति का नाम	
सहकारी समिति का जिला	
ऋण खाता क्रमांक	
दिनांक 31.3.2018 को अवशेष ऋण (अंकों में)	
दिनांक 31.3.2018 को अवशेष ऋण (शब्दों में)	
ऋण लेने/स्वीकृति की दिनांक	

7. बैंक का विवरण जहां से फसल ऋण लिया गया हो :-

विवरण	खाता नम्बर
बैंक का नाम	
ब्रांच/शाखा का नाम	
ऋण खाता क्रमांक	
दिनांक 31.3.2018 को अवशेष ऋण (अंकों में)	
दिनांक 31.3.2018 को अवशेष ऋण (शब्दों में)	
ऋण लेने/स्वीकृति की दिनांक	

भाग दो

8. बैंक सूची में दर्शायी गयी जानकारी तथा सही जानकारी का विवरण :-

क्र.	विवरण	दर्शायी गयी जानकारी	सही/संशोधित जानकारी
1.	बैंक/सहकारी समिति का नाम		
2.	शाखा का नाम		
3.	सूची में सरल क्रमांक		
4.	खाता क्रमांक		
5.	खाता धारक का नाम		
6.	खाते में दिनांक 31.3.2018 को शेष राशि		
7.	अन्य		

भाग तीन

9. (i) यदि सोना गिरवी रखकर फसल ऋण लिया है तो ऋण प्राप्ति दिनांक ..... राशि .....
बैंक/समिति का नाम ..... खाता क्र. .....

(ii) यदि FPO/FPC के रूप में फसल ऋण लिया है तो ऋण प्राप्ति दिनांक ..... राशि .....
बैंक/समिति का नाम ..... खाता क्र. .....

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि :

1. मैं निम्न श्रेणी का वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी नहीं हूँ :- सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी का अध्यक्ष, सहकारी बैंक का अध्यक्ष, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मण्डल अथवा बोर्ड का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं हूँ।
2. मैं आयकर दाता नहीं हूँ। विगत तीन वर्षों में मेरी आयकर की कोई देनदारी निर्मित नहीं हुई, ना ही मेरे द्वारा आयकर जमा किया गया है।
3. मैं भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार का शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा गठित निगम/मण्डल/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हूँ या नहीं रहा हूँ।
4. मैं GST के अंतर्गत दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/फर्म के संचालक/फर्म का भागीदार नहीं हूँ।
5. मैंने कम्पनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं से प्रत्याभूत ऋण नहीं लिया है।

(अ) **आवेदन फार्म में भरी गयी जानकारी मेरी सूचना अनुसार सत्य है तथा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छुपाया नहीं गया है।**

(ब) **यदि योजनान्तर्गत मुझको पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होता है तो अधिक राशि शासन द्वारा वसूली योग्य होगी।**

हस्ताक्षर (कृषक)

सहमति

मैं अपना आधार संख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मैं स्वेच्छा से मेरे बैंक/समिति खाते में सीड/दर्ज करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर (कृषक)

यहां से काटें ✂

मान. श्री कमलनाथ जी
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना

फसल कर्ज माफी आपत्ति सह संशोधन पत्र

मध्यप्रदेश शासन

रसीद

रसीद क्र. .....

कृषक श्री .....

पिता श्री .....

के द्वारा आज दिनांक ...../...../..... को बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची की जानकारी के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर
(नोडल अधिकारी)

नाम : ..... पदनाम : ..... स्थान : .....

कर्जमाफी की अहम तारीखें

- 15 जनवरी तक संबंधित बैंक ब्रांच में लगाई जाए और पोर्टल में भी डाली जाएगी।
- 26 जनवरी को ग्रामसभा की बैठक में हरे, सफेद और गुलाबी फार्म की जानकारी दी जाएगी।
- 26 जनवरी तक अर्जी नहीं दे पाने वाले किसानों को 5 फरवरी 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा करने का एक और मौका दिया जाएगा।
- 15 जनवरी से 5 फरवरी के बीच ऐसे ऋण खाते आधार लिंक कराए जा सकेंगे जो आधार से नहीं जुड़े।
- ऑफ लाइन आवेदनों को 26 जनवरी 2019 तक पोर्टल में डाल दिया जाएगा।
- जिन किसानों के कर्ज आधार से नहीं जुड़े उन्हें बैंक जाकर आधार से जुड़वाना होगा।
- जो किसान आधार कार्ड से कर्ज लिंक नहीं कराएंगे उनको कर्जमाफी नहीं मिलेगी।
- अगर जमीन ग्राम पंचायत के दायरे में है तो अर्जी पंचायत में और शहर में जमीन है तो नगरीय निकाय के दफ्तर में जमा होगी।

आवेदन पत्र के साथ क्या क्या जमा करें

- आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- सरकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो ऋण खाता पासबुक का पहले पन्ने की फोटोकॉपी।
- सहकारी बैंक या कृषि समिति से लोन लिया गया है तो ऋण खाता पासबुक की जरूरत नहीं।
- जमीन अगर कई पंचायतों में आती है तो जिस पंचायत में उसका घर है वहां अर्जी जमा होगी।

किसानों को कैसे पता चलेगा

- जानकारी अपलोड होते ही किसानों को **SMS** से सूचित करेगी।
- पोर्टल में भरे गए आवेदन की फोटो कॉपी भी किसान को दी जाएगी।
- जिन किसानों ने आधार कार्ड या ऋण खाते का नंबर नहीं दिया है उनके अलग से वक्त मिलेगा।
- कर्ज की रकम किसान के खाते में डालते ही उन्हें **SMS** से सूचित किया जाएगा।
- भुगतान के बाद किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।